न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) शाहपुरा जिला–जयपुर राज0

पीठासीन अधिकारी :– श्री संजीव कुमार खेदर, आर. ए. एस.
वाद पत्रसंख्या :– 83/2021

उनवान

1. सुरजमल उर्फ सुरजा पुत्र देबूराम उम्र वयस्क जाति मीणा, निवासी ग्राम माटोरी कलां, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।

– अप्रार्थी/वादी

बनाम

1. प्रभू पुत्र देबूराम
2. बालूराम पुत्र देबूराम
3. रोशनी देवी पत्नी रिछपाल हाल पत्नी बालूराम

समस्त जाति मीणा, उम्र वयस्कान् निवासी ग्राम मामटोरी कलां, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।

4. प्रबन्धक एस.एस.बी.जे. बैंक शाखा मनोहरपुर तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।
5. प्रबन्धक जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा मनोहरपुर, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।
6. उप पंजीयन उप पंजीयन कार्यालय मनोहरपुर, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर राज0।
7. राजस्थान सरकार भू–धारक जरिये तहसीलदार, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर , राज0।

– प्रार्थी/प्रतिवादीगण

8. सोनी पुत्री देबूराम पत्नी सुरज्ञानी जाति मीणा, निवासी ग्राम उदावाला तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।
9. महेश पुत्र हनुमान
10. कौशल्या पुत्री हनुमान जाति मीणा, निवासी ग्राम उदावाला, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।

– अप्रार्थी/तरतीबी प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गतआदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी

उपस्थिति

1. श्री सुरेन्द्र सिंह शेखावत, वकील प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण की ओर से
2. श्री रामकिशोर यादव, वकील अप्रार्थी/वादीगण की ओर से

आदेश दिनांक :– 14/5/25

प्रार्थना–पत्र संक्षेप में इस प्रकार पेश किया गया है कि उक्त उनवानी प्रकरण में वादी ने खसरा नंबर 1151/1.94 है0 वाकै ग्राम मामटोरी कलां तहसील शाहपुरा जिला जयपुर पर

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

Scanned with OKEN Scanner

क की घोषणा का दावा पेश किया है जो विधि द्वारा वर्जित होने से इसी स्टेज पर खारिज कये जाने योग्य है। वादी ने अपने वाद–पत्र के खण्ड संख्या – 2 में स्वीकार किया है कि ाबिक खसरा नंबर 534 में से 10 बीघा भूमि वादी व प्रतिवादीगण के पिता नाना के आवंटन ी गई थी, जिसके हाल खसरा नंबर 1150/1.94 है0 व 10 बीघा प्रतिवादी संख्या 1 पुत्र को ावंटन की गई थी जिसके हाल खसरा नंबर 1151/1.94 है0 कायम किये गये है अर्थात दी ने प्रतिवादीगण संख्या 1 के नाम आवंटित भूमि के खिलाफ घोषणा खातेदारी का दावा क व मुखालपाना कब्जे के आधार पर खातेदारी घोषणा चाही है जबकि आवंटन एक निर्णय ा श्रेणी में आता है तथा निर्णय के खिलाफ अपील के प्रावधान बने हुए है जबकि वादी ने षणा खातेदारी का दावा पेश किया गया है, जबकि आवंटन के खिलाफ विशिष्ट कानून –राजस्व अधिनियम 1956 के नियम 14(4) में अपील का प्रावधान है जो वादी ने नियत मयावधि में सक्षम न्यायालय में नहीं की है। इस कारण न्यायालय श्रीमान् को वाद पत्र नवाई का क्षेत्राधिकार नहीं होने से दावा इसी स्टेज पर खारिज किये जाने योग्य है। आवंटन बंधी मामलों को सुनवाईका क्षेत्राधिकार अदालत हाजा को नहीं होने से वादी का दावा ीमान् के क्षेत्राधिकार में नहीं होने से दावा इसी स्टेज पर खारिज किये जाने योग्य है। वादी ा प्रश्नगत आराजी मुतनाजा बाबत् किसी प्रकार का वाद कारण उत्पन्न नहीं होता है। इस ारण वाद मूल (Cause of Action) के अभाव में वादी का दावा चलने योग्य नहीं होकर ारिज किये जाने योग्य है। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर व सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न र्णयों की पालना में कानूनन मुखालपाना कब्जे के आधार पर खातेदारी घोषणा कानूनन नहीं ा जा सकती है, इस कारण वादी का दावा काबिले खारिज है। वादी का वाद –पत्र स्वच्छ थों से लेकर नहीं आया है, इस कारण भी वादी का वाद पत्र इसी स्टेज पर किये जाने ग्य है। भूमि आवंटन एक निर्णायक कमेटी द्वारा निर्णय किया जाता है, तथा विधि का स्थापित सिद्धान्त है कि निर्णय की अपील हो सकती है तथा अपील सुनने का क्षेत्राधिकार तिरिक्त जिला कलेक्टर को है, इस कारण भी वादी का दावा क्षेत्राधिकार विहिन होने से सी स्टेज पर खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादी ा वाद पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाये जाने की आज्ञा प्रदान करें।

वादी/अप्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब इस प्रकार पेश किया है कि वादी ने ासरा नंबर 1151/1.94 है0 वाकै ग्राम मामटोरी कलां तहसील शाहपुरा पर हक की घोषणा ा दावा पेश नहीं किया गया है बल्कि भूमि हाल खसरा नंबर 1150/1.94 है0, 1151/1.94 0 जिसका साबिक खसरा नंबर 534 रकबा 83 बीघा 10 बिस्वा वाकै ग्राम मामटोरी कलां हसील शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित है में से 20 बीघा भूमि के संबंध में दावा स्तकरारहक, दुरूस्ती इन्द्राज घोषणा खातेदारी बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया है जो विधि द्वारा किसी भी स्थिति में वर्जित नहीं है तथा इसी स्टेज पर खारिज किये

न्यायालय सहायक कलक्टर

सत्यमेव जयते

सहायक कलक्टर

Scanned with OKEN Scanner

ाने योग्य नहीं है बल्कि साक्ष्य सबूत पेश करने के बाद साक्ष्य के आधार पर साबित नहीं ोने से खारीज किये जाने योग्य हो सकता है। प्रथम दृष्ट्या सुनवाई के अधिकार प्राप्त दावे ो खारिज किया जाना कानून सम्मत नहीं है। प्रतिवादीगण ने बेईमानी, बदनीयति से अधूर थ्यों के आधार पर गलत मिथ्या कथन करते हुए प्रार्थना–पत्र गलत रूप से पेश किये जाने । प्रार्थना–पत्र प्रथम दृष्टया खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थना–पत्र का खण्ड संख्या 3 लत, मिथ्या तथ्यों पर पेश किया है। वादी अप्रार्थी ने कहीं भी आवंटन को चैलेंज नहीं किया अगर आवंटन को चैलेंज किया जाता तो भू–राजस्व अधिनियम 1956 के नियम 14(4) के हत किया जाता लेकिन अप्रार्थी वादी का दावा जिमन नंबर 1 वाद पत्र में वर्णित भूमि मौका ब्ज से हि0 1/3 का वादी, हि0 1/3 का प्रतिवादी संख्या 1, हि0 1/3 का प्रतिवादी ख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 3 खातेदार काश्तकार काबिज काश्त है। बराबर बराबर काबिज ़कर काश्त करते आ रहे है। प्रतिवादी संख्या 1 अकेले का कोई हक अधिकार कब्जा काश्त हीं है। वर्णित भूमि का साबिक रकबा 83 बीघा 10 बिस्वा में 10–10 बीघा भूमि अलाट की ई थी जिसका कि हाल माप प्रणाली से रकबा 5.00 है0 होता है, लेकिन भू–प्रबन्ध के र्मचारियों अधिकारियों ने गलती से गैर कानूनी रूप से बिना किसी सक्षम न्यायालय के ादेश व गलत विधि विपरीत तरीके से गलत मिलान क्षेत्रफल व रकबा कर कर दिया गया बकि भू–प्रबन्ध विभाग को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं था, जो काबिले रूस्ती है, जिसकी घोषणा किया जाना आवश्यक है। वादी–प्रतिवादीगण हिस्सा बराबर बराबर खातेदार काश्तकार काबिज काश्त है व उपयोग–उपभोग कर रहे हैं। वादी अपने पूर्वज ता के समय से उक्त भूमि में शामिल में रहकर काश्त करता आ रहा है। जिमन नंबर 1 द पत्र में अंकित भूमि अलाटमेंट के समय वादी व वादी के दोनों सगे भाई छोटे थे। वादी । पिता व प्रतिवादी संख्या 1 बड़े थे जिन्होने भूमि खसरा नंबर 1150 की भूमि वादी के पिता अपने नाम तथा खसरा नंबर 1151 की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 वादी के बडे भाई के नाम अलॉट करवाई थी। वक्त अलॉटमेंट वादी व अन्य दोनों भाई छोटे थे। प्रतिवादी संख्या 1 । वादी के पिता का बड़ा लडका था। सम्पूर्ण भूमि पर सभी शामिल में रहकर निवास व कृषि रते थे। उस वक्त आवंटित भूमि उबड–खाबड आखलों की जमीन थी जिसमें मवेशी चराते ।। पानी–पूला व घास–पूस का उपयोग–उपभोग शामिल में करते आये थे। वादी ने भूमि में ाफी मेहनत व रूपये खर्च करके समतल करवाया है। मैदानी 8 इंच पाईप की बोरिंग कराई । पहले छप्परपोश घर बनाकर व अब पुख्ता मकानात बनाकर कृषि सुरक्षा हेतु ावश्यकतानुसार निवास करते है। उक्त भूमि में वादी द्वारा बोरिंग कराने व छप्परपोश घर नाकर व पुख्ता मकानात वादी व उसके पुत्र द्वारा बोरिंग कराने व छप्परपोश घर बनाकर व ुख्ता मकानात वादी व उसके पुत्र द्वारा बनाकर निवास करते हुए आ रहे होने का भी तिवादीगण द्वारा कभी विरोध नहीं किया गया है। इसके संबंध में दावा इस्तकरारहक, दुरूस्ती ोषणा खातेदारी, बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञाका दावा पेश किया है, जिसे राजस्थान

सहायक कलक्टर
राज.

ाश्तकारी अधिनियम की धारा 207 की तृतीय अनुसूचि के अनुसार न्यायालय हाजा को ुनवाई का बखूबी क्षेत्राधिकार प्राप्त है क्योंकि दावा आवंटन निरस्ती के बाबत पेश नहीं नहीं केया गया है। साक्ष्य के अभाव में प्रकरण प्रथम दृष्टया साबित नहीं किया जा सकता है,ना ही ावा प्रथम दृष्टया क्षेत्राधिकार सुनवाई के आधार पर खारिज किया जा सकता है। प्रार्थना–पत्र य हर्जा खर्चा खारिज किये जाने योग्य है।

प्रतिवादी/प्रार्थी ने मिथ्या तथ्यों के आधार पर यह प्रार्थना–पत्र गलत रूप से पेश केया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। वादी का दावा शामलाती 20 बीघा भूमि आवंटन के ांबंध में पेश किया है जो विधि प्रक्रियानुसार काश्तकारी अधिनियम की तृतीय अनुसूचि में र्णित धारा 207 के अन्तर्गत न्यायालय हाजा को सुनने व निर्णय करने का अधिकार प्राप्त है। ार्थना–पत्र गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है, जो खारिज किये जाने योग्य है। जेमन नंबर 5 प्रार्थना–पत्र जिस तरह जाहिर किया गया है, गलत है, अस्वीकार है। वादी प्रार्थी को वाद कारण पैदा होने पर ही वाद पत्र पेश किया गया है। वादी ने अपने वाद पत्र े जिमन नंबर 1 लगायत 14 में वर्णितानुसार तथा वाद पत्र के जिमन नंबर 10 लगायत 14 ं स्पष्ट रूप अंकित किया है कि आ0 ख0 नं0 1150 व 1151 की भूमि एक जगह मिली हुई जिसमें वादी ने अपने हिस्सा भूमि को अलग होने के बाद काफी रूपये खर्च करके समतल रवायी गयी है तथा उसे काश्त योग्य बनाया है तथा उसमें काश्त कर सिंचाई कर पयोग–उपभोग करता आ रहा है तथा प्रतिवादीगण की भूमि ऐसे ही पडी हुई है जो कि ादी के हिस्सा की समतल करवायी व काश्त योग्य भूमि को हड़प करने के लिए प्रतिवादीगण े मन में बेईमानी व बदनीयती पैदा हो गई है। प्रतिवादीगण ने एक नाजायज संगठन बनाकर ादी को उसके हिस्सा कब्जा काश्त की भूमि से हैरान व परेशान कर बेदखल करने व कब्जा रने पर आमादा है तथा काश्त करने में मजाहमत पैदा करने पर उतारू है। जिमन नंबर 6 ार्थना–पत्र जिस तरह से जाहिर किया गया है, गलत है, अस्वीकार है। माननीय राजस्व ण्डल अजमेर व सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों की पालना में कानूनन इस्तकरारहक, ुरूस्ती घोषणा खातेदारी, बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा का दावा मुखालपाना कब्जे के आधार र हक परिस्थितियों के अनुसार आवश्यकतानुसार साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित किये जाने के आधार पर खातेदारी घोषणा कानूनन की जा सकती है। प्रार्थी प्रतिवादीगण का ार्थना–पत्र खारिज किये जाने योग्य है। जिमन नंबर 7, 8 प्रार्थना–पत्र जिस तरह से जाहिर किया गया है गलत है, अस्वीकार है। वादी वाद पत्र स्वच्छ हाथों से लेकर आया है। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र गलत मिथ्या तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है जिन सब बातों की जानकारी साक्ष्य आने पर विधि सम्मन न्याय निर्णय से हो सकेगी। इसलिए प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी प्रतिवादी बार–बार एक ही शब्द लेकर आ रहा है कि आवंटन भूमि के ... दावा क्षेत्राधिकार विहिन होने से खारिज किये जाने योग्य है। वादी का दावा आवंटन

सहायक कलक्टर ... राज०
सत्यमेव जयते

को चैलेन्ज नहीं किया गया है बल्कि साबित खसरा नंबर 534 में से वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 2 के पिता व प्रतिवादी संख्या 3 के ससुर तथा तरतीबी प्रतिवादी के पिता व नाना व प्रतिवादी संख्या 1 को 10–10 बीघा शामलाती रूप में अलाट की गई थी जिस पर वादी व प्रतिवादीगण शामलाती रूप में अपने पिता व भाई प्रतिवादी संख्या 1 के साथ काबिज काश्त करते आ रहे थे तथा पिता की मृत्यु के बाद अलग होकर बराबर हिस्सा पर काबिज रहकर काश्त आ रहे है। इसी आधार पर दावा पेश किया है, जिसे न्यायालय हाजा का सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। अतः प्रार्थी का प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज किये जाने योग्य है। वादी ने यह दावा सन् 2021 में न्यायालय हाजा के समक्ष पेश किया है जिसमें जवाब दावा प्रस्तुत किया जा चुका है जो साक्ष्य सबूतों के आधार पर निर्णय किया जाना कानून सम्मत है इसलिए यह प्रार्थना–पत्र बिना किसी कारण पैदा हुए अन्दर मियाद जाना कहकर पेश किया है, जो न्यायालय हाजा का बेशकीमती समय जाया करने के लिए प्रार्थी प्रतिवादी ने बिना अधिकार प्रार्थना–पत्र पेश किया है अतः प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने योग्य है। प्रस्तुत प्रकरण का सभी पहलुओं पर साक्ष्य आने पर न्याय निर्णय साक्ष्य सुनवाई के बाद किया जाना न्याय होने के लिए अति आवश्यक है। अतः प्रार्थी प्रतिवादी का प्रार्थना–पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी प्रतिवादी ने अपनी बहस में कथन किया है कि आराजी खसरा नंबर 1150, 1151 ा साबिक खसरा नंबर 534 से बनाया गया है। यह दावा दिनांक 12.08.2021 को वादी द्वारा ा किया गया है। भूमि का आवंटन सन् 1968 में किया गया है, जिसके अनुसार हाल खसरा बर 1150/1.94 है0 देवू के नाम तथा खसरा नंबर 1151/1.94 है0 प्रभु के नाम भू–प्रबन्ध ा कार्यवाही के दौरान दर्ज किया गया है। आराजी खसरा नंबर 1150/1.94 है0 भूमि वादी प्रतिवादीगण की शामलाती भूमि है जबकि खसरा नंबर 1151/1.94 है0 भूमि अकेले प्रार्थी तिवादी प्रभु पुत्र देवू के नाम आवंटित भूमि है। अलाटमेन्ट कहीं विवादित नहीं है। प्रार्थी तिवादी प्रभु की पर्सनल खातेदारी भूमि है, जिसमें किसी परिवार के सदस्य की कोई हिस्सेदारी नहीं है। वादी अप्रार्थी 45 साल बाद प्रार्थी प्रतिवादी के नाम आवंटित भूमि पर लेशन के आधार पर हिस्सा मांग रहे है। भूमि आवंटन की प्रक्रिया एक प्रशासनिक प्रक्रिया । बन्दोबस्त से संबंधित नहीं है। वादी अप्रार्थी ने आवंटन के खिलाफ कोई अपील नहीं की । वर्णित भूमि का सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी करवाने के बाद दावा लेकर आये है। घोषणा खातेदारी के लिए कब्जा होना आवश्यक है। इसके लिए कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं होता

वादी अप्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया है कि प्रार्थी प्रतिवादी प्रभु के नाम अकेले के नाम आवंटित भूमि में वादी का हित प्रकट नहीं होता है जो विधि द्वारा

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

वर्जित है। प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में कथन किया गया है, इस बाबत् वादी अप्रार्थी अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रस्तुत वाद में न्यायालय हाजा को सुनवाई का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। भूमि आवंटन शामलाती रूप से होने संबंधी कोई दस्तावेज प्रार्थी प्रतिवादी ने पेश नहीं किये है। अप्रार्थी वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित भूमि पर शामलाती रूप से कब्जा काश्त करते आ रहे है। प्रार्थी प्रतिवादी ने अलाटमेन्ट गलत करवाया है। सेटलमेन्ट ने भू–प्रबन्ध की कार्यवाही के दौरान आवंटित रकबे के विपरित रकबा कम दर्ज किया है। शामलाती भूमि 4 है0 से ज्यादा अलाटमेन्ट नहीं हो सकती है। भूमि अलाटमेन्ट के समय वादी व वादी के दोनो भाई छोटे थे तथा वादी का पिता व प्रतिवादी संख्या 1 बड़े थे जिन्होने खसरा नंबर 1150 की भूमि वादी के पिता ने अपने नाम तथा खसरा नंबर 1151 की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 वादी के बड़े भाई के नाम से अलाटमेन्ट करवाई थी। उक्त अलाटमेंट वादी व अन्य दोनों भाई छोटे थे तथा प्रतिवादी सख्या 1 ही वादी के पिता का बडा लडका था। सम्पूर्ण भूमि पर सभी शामिल में रहकर काश्त एवं निवास करते थे। खसरा नंबर 1151 में मकान बने हुए है जो सभी बिन्दु साक्ष्य में तय होंगे। अलाटमेन्ट संयुक्त अथवा पृथक–पृथक हुआ यह साक्ष्य में तय होगा। अवयस्क होने से वादी व वादी के दोनों भाईयों के नाम आवंटन नहीं हो सका, जबकि सभी की शामलाती कब्जे काश्त की है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी खारिज फरमाये जाने योग्य है।

प्रार्थी प्रतिवादी अधिवक्ता ने जवाबी बहस में कथन किया कि आवंटन एक व्यक्ति को ही किया जाने से उसके परिवार के किसी सदस्य का कोई हिस्सा नहीं माना जा सकता है। साथ ही कथन किया कि प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में संवहन से खसरा नंबर 1151/1.94 है0 वाके ग्राम मामटोरी कलां के स्थान पर ग्राम मनोहरपुर दर्ज हो गया है जिसे संशोधन फरमाया जावे। अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त पेश किये है। अन्त में कथन किया है कि प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार फरमाया जाकर दावा वादी खारिज फरमाया जाने के आदेश प्रदान करें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया , तथा विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । जहॉ तक आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के अन्तर्गत वादपत्र निम्नलिखित दशाओं में नामन्जूर किये जाने का प्रावधान है:–

(क). जहॉ वाद हेतुक प्रकट नहीं करता है। (ख). जहॉ दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया।

(ग). जहॉ दावाकृत अनुतोष ठीक है परन्तु वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्प पत्र पर लिखा गया है।

(घ). जहॉ वादपत्र किसी विधि से वर्जित है। (ङ). जहॉ यह 02 प्रतियों में फाईल नहीं किया

(च). जहॉ वादी नियम 9 के उपबंधो की अनुपालना करने में असफल रहता है।

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज. सत्यमेव जयते

आदेश

हमने उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। प्रार्थना-पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी एवं जवाब प्रार्थना-पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में वर्णित तथ्यों का हनता से मनन किया। प्रार्थी प्रतिवादी ने अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त आरआरडी मार्च 005 पेज 146, आरआरडी 14 अगस्त 2020 पेज 280, पेश की है, जिनका अवलोकन व मनन किया गया। न्यायिक दृष्टातों का अवलोकन किया गया। समस्त तथ्यों के अवलोकन एवं विश्लेषण के पश्चात हम इस नतीजे पर पहुंचे है कि वादी व प्रतिवादीगण एक ही संयुक्त रिवार के व्यक्ति है, जो मृतक देबूराम के वारिसान है। देबूराम के नाम तथा प्रतिवादी संख्या प्रभू के नाम एक ही खसरे की भूमि में से पृथक-पृथक भूमि का आवंटन किया गया है, जो ाल भू-प्रबन्ध की कार्यवाही से पूर्व किया हुआ है। प्रतिवादी प्रार्थी प्रभू के नाम आवंटित भूमि वसरा नंबर 1151/1.94 है0 वाकै ग्राम मामटोरी कलां में खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के धिकारी नहीं है। आवंटन के पश्चात् खातेदारी प्रतिवादी प्रभु के नाम दर्ज चली आ रही है, जिससे वादी व अन्य किसी किसी प्रकार से कोई लेना देना नहीं है। वादी अप्रार्थी ने आराजी मुतनाजा प्रार्थी प्रतिवादी संख्या 1 को आवंटन होना वाद पत्र में स्वीकार किया है। ादी अप्रार्थी का यदि विवादित भूमि पर कब्जा काश्त रहा है तो उसे आवंटन के खिलाफ क्षम अधिकारी के समक्ष अपील करनी चाहिए थी। अप्रार्थी वादी मात्र खसरा नंबर 1150 में टवारा कराने मात्र के अधिकारी है। खसरा नंबर 1151/1.94 है0 वाकै ग्राम मामटोरी कलां ार्थी प्रतिवादी संख्या 1 को आवंटित भूमि है, जिसका एक मात्र मालिक व स्वामी प्रार्थी तिवादी संख्या 1 ही है, जिसके नाम आवंटित भूमि में से खातेदारी घोषणा का दावा लाने का ादी अप्रार्थी को कोई विधिक अधिकार नहीं है। वादी केवल मात्र सहखातेदारी भूमि का टवारा कराने का अधिकारी है। प्रार्थी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम आवंटित भूमि खसरा नंबर 151/1.94 है0 वाकै ग्राम मामटोरी कलां के संबंध में हक घोषणा खातेदारी का जो यह दावा श किया है इसी स्टेज पर खारिज किये जाने योग्य है। भूमि आवंटन की प्रकिया एक निर्णय ी श्रेणी में आता है तथा निर्णय के खिलाफ अपील के प्रावधान बने हुए है। हाल भू-प्रबन्ध ी कार्यवाही से पहले यह आवंटन की प्रकिया की गई थी जिसके विरूद्ध वादी अप्रार्थी ने क्षम न्यायालय में किसी प्रकार की कोई अपील नहीं की है। ऐसी स्थिति में भी दावा वादी चलने योग्य नहीं है। वादी अप्रार्थी को आवंटन आदेश के विरूद्ध नियत समयावधि में 14(4) के तहत कार्यवाही करनी चाहिए थी जो नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में वाद भूमि खसरा नंबर 1151/1.94 है0 वाकै ग्राम मामटोरी कलां के संबंध में वाद पत्र की सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है। खसरा नंबर 1150, 1151 की भूमि एक जगह मिली हुई है तो इस संबंध में दोनों पक्ष नियमानुसार सीमाज्ञान कराने के अधिकारी है। साथ ही वादी अप्रार्थी यदि अपनी संयुक्त खातेदारी भूमि का बंटवारा कराना चाहते है तो पृथक से नया वाद दायर कर

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

Scanned with OKEN Scanner

नुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है। चूंकि प्रस्तुत दावा प्रतिवादी प्रार्थी प्रभु के नाम आवंटित ातेदारी भूमि में से हक खातेदारी घोषणा एवं बंटवारा हेतु पेश किया गया है जो चलने योग्य हीं है। वादी अप्रार्थी को आवंटन प्रकिया के बाद आवंटन निरस्त किये जाने बाबत् निश्चित मयावधि में सक्षम न्यायालय में अपील की कार्यवाही करनी चाहिए थी, जो उसके द्वारा नहीं ी गई है ऐसी स्थिति में आवंटी के नाम आवंटित भूमि में खातेदारी घोषणा लाने का उन्हें ोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अतएव दावा वादी (**Maintainable**) पोषणीय नहीं है।

अतः उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी तिवादी संख्या 1 स्वीकार किया जाता है तथा वादी अप्रार्थी आवंटित भूमि में प्रतिवादी संख्या की अकेले की खातेदारी भूमि में हक घोषणा खातेदारी एवं बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का ावा लाने का अधिकारी नहीं है। वादी सूरजमल चाहे तो अपनी संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा बर 1150 वाकै ग्राम मामटोरी कलां तहसील शाहपुरा के संबंध में बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा ा पृथक से नया वाद दायर कर वांछित अनुतोष प्राप्त कर सकता है। आवंटित भूमि के बंध में वाद पत्र को सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं होने से अपितु दावा ाधि द्वारा वर्जित होने से दावा इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। हर्जा ,खर्चा पक्षकार पना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 14.5.2025 को सरै इजलास नाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.
सत्यमेव जयते

(संजीव कुमार खेदर)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रेक)
सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.
शाहपुरा (जिला-जयपुर)

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) शाहपुरा जिला–जयपुर राज0

पीठासीन अधिकारी	:–	श्री संजीव कुमार खेदर, आर. ए. एस.
वाद पत्रसंख्या	:–	83/2021

उनवान

1. सुरजमल उर्फ सुरजा पुत्र देबूराम उम्र वयस्क जाति मीणा, निवासी ग्राम माटोरी कलां, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।

– अप्रार्थी/वादी

बनाम

1. प्रभू पुत्र देबूराम
2. बालूराम पुत्र देबूराम
3. रोशनी देवी पत्नी रिछपाल हाल पत्नी बालूराम

समस्त जाति मीणा, उम्र वयस्कान् निवासी ग्राम मामटोरी कलां, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।

4. प्रबन्धक एस.एस.बी.जे. बैंक शाखा मनोहरपुर तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।
5. प्रबन्धक जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा मनोहरपुर, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।
6. उप पंजीयन उप पंजीयन कार्यालय मनोहरपुर, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर राज0।
7. राजस्थान सरकार भू–धारक जरिये तहसीलदार, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर , राज0।

– प्रार्थी/प्रतिवादीगण

8. सोनी पुत्री देबूराम पत्नी सुरज्ञानी जाति मीणा, निवासी ग्राम उदावाला तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।
9. महेश पुत्र हनुमान
10. कौशल्या पुत्री हनुमान जाति मीणा, निवासी ग्राम उदावाला, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।

– अप्रार्थी/तरतीबी प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गतआदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी

उपस्थिति

1. श्री सुरेन्द्र सिंह शेखावत, वकील प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण की ओर से
2. श्री रामकिशोर यादव, वकील अप्रार्थी/वादीगण की ओर से

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

Scanned with OKEN Scanner

आदेश दिनांक :– 14.5.2025

अतः उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी तिवादी संख्या 1 स्वीकार किया जाता है तथा वादी अप्रार्थी आवंटित भूमि में प्रतिवादी संख्या की अकेले की खातेदारी भूमि में हक घोषणा खातेदारी एवं बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वा लाने का अधिकारी नहीं है। वादी सूरजमल चाहे तो अपनी संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा र 1150 वाकै ग्राम मामटोरी कलां तहसील शाहपुरा के संबंध में बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा पृथक से नया वाद दायर कर वांछित अनुतोष प्राप्त कर सकता है। आवंटित भूमि के बंध में वाद पत्र को सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं होने से अपितु दावा धि द्वारा वर्जित होने से दावा इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। हर्जा ,खर्चा पक्षकार पना अपना वहन करें।उक्त डिक्री आज तारीख ....14.05.2025.... को मेरे हस्ताक्षर एवं यालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई ।

(संजीव कुमार खेदर)
सहायक कलक्टर (फा0ट्रेक)
शाहपुरा जिला जयपुर

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.
सत्यमेव जयते

के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

Scanned with OKEN Scanner